तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शैतानसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (सहायक कलक्टर फास्टट्रेक जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 185 / 2023 (ऑनलाईन नं.)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह, निवारी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.04.23. में उसके द्वारा (1) दिनांक 28.02.2023 को जिलाधीश को शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र जिलाधीश द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलक्टर फास्टट्रक कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (सहायक कलक्टर फास्टट्रेक कलक्टर कार्यालय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 939 दिनांक 03.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग एवं आवक लिपिक, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 744 दिनांक 03.07.23 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.23 का कार्यालय की आवक पंजिका में निरीक्षण करने पर वांछित प्रार्थना पत्र आना नहीं पाया गया है जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	